जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि के 10 प्रतिशत में होगा एकमुश्त निस्तारण

वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना अब 31 जुलाई, 2018 तक

जयपुर, 04 जुलाई। कृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि के लिए लागू योजना की अवधि को 31 जुलाई, 2018 तक बढा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 30 जून, 2018 तक ही प्रभावी थी।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर. जी. गुप्ता ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के हित और सतर्कता जांच से होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की अवधि को 31 जुलाई तक बढाने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके।

लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अनुसार 31 जुलाई, 2018 तक कृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता अपने बढे हुए भार की 31 जुलाई, 2018 तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते है। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नही हुआ है उनको बढे हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। नए कृषि कनेक्शन जारी करते समय ट्रांसफार्मर पर मीटर बॉक्स की वैल्डिंग एवं ट्रांसफार्मर पर समुचित एव आवश्यकता अनुसार जीओ/डीओ फ्यूज लिंक यूनिट लगाया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 776/2018